हीवेट पॉलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ

संस्था में स्पॉट काउंसिलिंग द्वारा सीधे दाखिले की प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना

दिनांकः 21.10.2024

1. आवेदन-पत्र का वितरण तथा कलेक्शन दिनांक 22.10.2024 (मंगलवार) को प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक होगा। अपरान्ह 02:00 बजे के बाद फार्म कदापि वितरित अथवा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. आवेदन-पत्र निःशुल्क है। वितरण खिड़की से फार्म प्राप्त कर पूर्णतः भर कर (सूची में निर्दिष्ट सम्बन्धित संलग्नकों के साथ) अपरान्ह 02:00 बजे तक काउंटर पर जमा कर दें। **आवेदन-पत्र के साथ प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, शैक्षणिक अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
3. आवेदन-पत्र की पावती आवेदक को पावती काउंटर से दे दी जायेगी तथा काउंसिलिंग के समय उसे दिखाना होगा।
4. मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त ओपेन रैंक के आधार पर तैयार की जायेगी।
5. चयन प्रक्रिया दिनांक 23.10.2024 को प्रातः 10:00 बजे मैरिट सूची के आधार पर संचालित की जायेगी। स्पॉट काउंसिलिंग में कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी।
6. आवेदन-पत्र के Back Side पर बने विकल्प-पत्र को भी आवेदन-पत्र जमा किये जाने से पूर्व भरा जाना अनिवार्य है।
7. चयन प्रक्रिया ग्रुप 'K' की काउंसिलिंग से शुरु होगी। तत्पश्चात् ग्रुप 'A' की काउंसिलिंग करायी जायेगी।
8. सभी आवेदक/अभ्यर्थी मूल प्रपत्रों तथा उनकी स्वहस्ताक्षरित फाटोकापी के साथ चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
9. सीट आवंटन के पश्चात् चयनित छात्र/छात्राओं को नकद फीस संस्था में जमा करनी होगी जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क0 सं0	ब्रान्च का नाम	पाठ्यक्रम का प्रकार	संस्था फीस	काउंसिलिंग फीस	कुल देय फीस
1	सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल	नियमित	19840	250	20090
2	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	स्ववित्तपोषित	26410	250	26660

10. उक्त शुल्क के अतिरिक्त चयनित छात्र/छात्रा को रू0 96/- मात्र (जनता दुर्घटना बीमा हेतु) भी संस्था में नकद जमा करना होगा।
11. सातवें (अन्तिम) चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् संस्था में रिक्त सीटों का विवरण निम्नवत् हैः-

क0सं0	ब्रान्च का नाम	ग्रुप	रिक्त सीटों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सिविल इंजी0	A	02
		K	00
2	विधुत इंजी0	A	01
		K	00
3	मैकेनिकल इंजी0	A	02
		K	00
4	आई0टी0 (SFS)	A	02
		K	01
कुल योग			08

12. स्पॉट काउंसिलिंग से सम्बन्धित सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देश/विवरण इस सूचना के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

21-10-24
(कुन्दन सिंह)
प्रधानाचार्य
21.X.24

हीवेट पॉलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ

दिनांकः 23.10.2024 को चयन के उपरान्त प्रवेश लेने हेतु अनिवार्य प्रपत्र निम्नवत् हैः-

दिनांकः 21.10.2024

1. हाई स्कूल अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र।
3. गैप सम्बन्धी शपथ-पत्र (यदि लागू हो तो)।
4. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र **(प्रथम प्रति मूल रूप में द्वितीय प्रति स्वीकार्य नही होगी)।**
5. चरित्र प्रमाण-पत्र।
6. प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड।
7. रैंक कार्ड (रिजल्ट)।
8. मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र।
9. रैगिंग सम्बन्धी शपथ-पत्र छात्र द्वारा।
10. रैगिंग सम्बन्धी शपथ-पत्र अभिभावक द्वारा।

नोट

सीधे दाखिले (स्पॉट काउंसिलिंग) के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य से व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रयास न करें। किसी सिफारिश, दबाव व प्रलोभन न करें तथा स्वयं भी ऐसी घटनाओं/तत्वों से सावधान रहें। प्रवेश मात्र मेरिट के आधार पर किये जायेंगें। किसी बाहरी व्यक्ति के आवश्वासन पर कोई प्रलोभन न स्वीकार करें। ऐसी किसी भी घटना के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगें।

21-10-24

(कुन्दन सिंह)
प्रधानाचार्य

21.X.24

कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0,
1, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ

संख्या : **984**/संप्रपप/स्थापना-(स्पॉट का0उ0)/2024, दिनांक : **19** अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वर्ष-2024 की काउन्सिलिंग के सातवें चरण के समापन के उपरान्त राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 मोड एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों **(फार्मेसी कोर्स को छोड़कर)** में रिक्त रह गई सीटों को **दिनांक 22.10.2024 एवं 23.10.2024** को सम्पन्न होने वाली स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्थावार प्रवेश दिये जाने हेतु नियमों का कड़ाई से अनुपालन अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

1. डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों **(फार्मेसी कोर्स को छोड़कर)** की ही स्पॉट काउन्सिलिंग की जानी है।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि स्पॉट काउन्सिलिंग में उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रवेश परीक्षा-2024 में सम्मिलित हुए हैं।
3. किसी भी दशा में किसी अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश देने पर सम्बन्धित संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में **दिनांक 22.10.2024 एवं 23.10.2024** को सम्पन्न होने वाली स्पॉट काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में परिषद की ओर से राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 मोड एवं निजी क्षेत्र **(फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर)** की संस्थाओं के प्रधानाचार्यों/निदेशकों को दिशा-निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, उक्त स्पॉट काउन्सिलिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

1. स्पॉट काउन्सिलिंग की प्रक्रिया निःशुल्क होगी और सभी कार्य दिये गये शिड्यूल के अनुसार होंगे। स्पॉट काउन्सिलिंग में संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी ही सम्बन्धित ग्रुप के लिए अर्ह होंगे।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी समस्त चरण की काउन्सिलिंग तक राजकीय/अनुदानित/पी0पी0पी0 /निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्था में प्रवेश मिल चुका है, स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए अर्ह नही होंगे। काउन्सिलिंग प्रक्रिया से सातवें चरण तक संस्थाओं में प्रवेशित छात्र/ छात्राओं की सूची jeecup.admissions.nic.in पर दिनांक 21.10.2024 से उपलब्ध रहेगी।
3. आनलाइन काउन्सिलिंग में पंचम चरण से सभी सीटें ओपेन वर्ग में हो गई हैं, अतः संस्थावार, ब्रांचवार रिक्त सीटों को ओपेन वर्ग में सम्मिलित करते हुए स्पॉट काउन्सिलिंग सम्पन्न होगी। इन सीटों का विवरण दिनांक 21.10.2024 को प्रातः 10:00 बजे परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध होगा। महिला/विकलांग संस्थान की सीटों पर महिला/विकलांग अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
4. चयन प्रक्रिया में योग्यताक्रम की सूची अभ्यर्थी की **ओपेन रैंक** से ही बनायी जायेगी।
5. काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा तथा वह एक ही संस्था में आवेदन कर सकेगा।
6. राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड के संस्थाओं के प्रधानाचार्य द्वारा स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए एक समिति बनायी जायेगी, जिसके अध्यक्ष संस्था प्रधानाचार्य होंगे तथा संस्था के वरिष्ठ अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी/प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रधानाचार्य/ निदेशक द्वारा स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए एक समिति बनायी जायेगी, जिसके अध्यक्ष संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक होंगे तथा संस्था के वरिष्ठ अधिकारी एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित एक अधिकारी/प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

7. संस्था के सूचना पट पर पाठ्यक्रमवार रिक्तियों का विवरण दिनांक 22.10.2024 को उपलब्ध कराया जाये तथा रिक्त सीटों का संस्थावार/पाठ्यक्रमवार विवरण परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
8. स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए बनी समिति दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 9:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदन–फार्म एवं अभिलेखों की जांच दिनांक 22.10.2024 के सांय तक किये जाने के पश्चात समस्त आवेदकों की मेरिट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा।
9. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि 23.10.2024 है। इस तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।
10. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 25.10.2024 की सायं 5:00 बजे तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय को स्पॉट काउन्सिलिंग द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं का विवरण jeecup17@gmail.com पर अवश्य भेज दिया जाये।
11. स्पॉट काउन्सिलिंग में आवंटन पाये हुए छात्र/छात्राओं को आवंटित पाठ्यक्रम की निर्धारित पूरी फीस संस्था में जमा करनी होगी तभी उनका प्रवेश अन्तिम/पूर्ण माना जायेगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष–2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, किन्तु कोई रैंक प्राप्त नहीं किये हैं, उनको मेरिट सूची में रैंक प्राप्त अभ्यर्थियों के नीचे रखते हुए उनके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
13. ऊपर दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा–2024 में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनका किसी भी दशा में प्रवेश न किया जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित संस्था एवं संस्था प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे।
14. फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु स्पॉट काउन्सिलिंग के दिशा–निर्देश एवं तिथियाँ पृथक से निर्धारित की जायेंगी।

तदनुसार उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष महोदय, संप्रपप।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन/निदेशक महोदय, संप्रपप।
4. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाएं, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव